रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31072024-255933
CG-DL-W-31072024-255933

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 21—जुलाई 27, 2024, शनिवार/ आषाढ 30— श्रावण 5, 1946
No. 28] NEW DELHI, JULY 21—JULY 27, 2024, SATURDAY/ ASHADHA 30—SRAVANA 5, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय प्रूफ रीडर भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग में प्रूफ रीडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, प्रूफ रीडर (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2024 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा कीहै, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति–**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
प्रूफ रीडर ।	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200–92300 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र,

					लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिभर्ती सीधे : होगी या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा /प्रतिनियुक्ति पद्धतियों द्वारा तथा विभिन्न भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ स्नातक की डिग्री; तथा (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी या पुस्तक प्रकाशन या प्रूफ रीडिंग में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पणी:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (1) उप सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन के प्रभारी) –अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

वर्ष सेवा की हो; तथा (ख)जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ)7के अधीन (विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर की बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति-(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सीमा आवे-लिए अधिकतम आयुदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	(2) निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग – सदस्य; (3) अवर सचिव (प्रशासन के प्रभारी), गृह मंत्रालय – सदस्य ।	

[फा. सं. ए-35014/36/2013-प्रशा.V]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd July, 2024

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Proof Reader, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Proof Reader in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Proof Reader (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proof Reader.	01* (2024) *Subject to variation	General Central Service,	Level-5 in the pay matrix (Rs.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance

	dependent on workload.	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	29200-92300).		with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: (i) A Bachelor Degree with English and Hindi as subjects from a recognised University or institute; and (ii) Diploma in printing technology or book publishing or proof reading from an Institute approved by the All India Council for Technical Education or the Central Government or State Government. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institute,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500–	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Secretary or Director, Ministry of Home Affairs (in-charge of Administration) – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Director (Research), Department of Official Language – Member; 3. Under Secretary (in-charge of Administration), Ministry of Home Affairs – Member.	

[F. No. A-35014/36/2013-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रक्रमण के समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 को, जहाँ तक उनका सम्बन्ध सहायक प्रोग्रामर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सहायक प्रोग्रामर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सहायक प्रोग्रामर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स मे उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जीवित हैजिसका पति या जिसकी पत्नी ,, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।